पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 20.10.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा मूल अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र का विस्तृत जवाब दिनांक 09.01.2023 को मय दस्तावेजी साक्ष्य के विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के साथ ही आदेश 39 नियम 3 ए सी0पी0सी0 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों की पालना किये जाने तथा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 17.12.2022 की अवधि विस्तार नही किये जाने हेतु निवेदन किया गया, साथ ही मूल राजस्व वाद संख्या 40/2022 में विस्तृत जवाब वाद–पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद की पोषणीयता एवं क्षेत्राधिकार को भी चुनौती दी गई, इस प्रकार प्रार्थीगण के निरन्तर प्रयासों के उपरान्त भी विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण में सुनवाई नही कर आदेश 39 नियम 03 ए सीपीसी में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 17.12.2022 की अवधि का विस्तार किय जाने के साथ ही अप्रार्थी संख्या 01 को अनुचित लाभ पहुंचाये जाने के आशय से निरन्तर पेशीया प्रदान की जा रही है, इस कारण प्रार्थीगण को एकपक्षीय आदेश दिनांक 17.12.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया, इस प्रकार अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी का उचित, पर्याप्त एवं विधिक आधार होने से देरी क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित फरमाये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा प्रार्थीगण की आरे से आदेश 39 नियम 03 ए सीपीसी में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत निर्धारित 30 दिवस की अवधि में ही अपना विस्तृत जवाब मय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के उपरांत भी आज दिवस तक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र का निस्तारण नही किया गया है, जिससे आदेश दिनांक 17.12.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने के अधिकार विधि के तहत प्रार्थीगण में सृजित हो जाने से मूल अपील प्रस्तुत की गई है, जिसकी देरी का उचित, पर्याप्त एवं विधिक आधार होने से देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित करवाये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने में हुयी देरी का उचित, पर्याप्त, सद्भाविक एवं विधिक आधार होने से देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित फरमाये जाने के आदेश प्रदान फरमावें।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्ररकण में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पिता श्री नाथू पुत्र छोटू तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर काबिज–काश्त चले आ रहे है, जिन्हे एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 17.12.2022 की आड में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अनावश्यक रूप से हैरान एवं परेशान करते हुए उपयोग–उपभोग इत्यादि में बाधा उत्पन्न कर रहे है, और यदि वह अपने अविधिक कृत्य में सफल हो जाते है, तो प्रार्थीगण द्वारा मूल अपील प्रस्तुत किये जाने का आशय ही समाप्त होकर प्रकरणों की बहुलता मे लिप्त होना होगा, जिससे होने वाली आर्थिक व मानसिक क्षति का मुद्रा में आंकलन किया जाना असम्भव है। प्रार्थीगण द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष दिनांक 09.01.2023 को ही विस्तृत जवाब एवं अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 17.12.2022 की अवधि का विस्तार नही किया जाकर आदेश 39 नियम 3 ए सी0पी0सी0 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों की पालना किये जाने हेतु निवदेन किये जाने एवं अपील में वर्णित विधिक आधारो, दस्तावेजी साक्ष्य एवं न्यायिक दृष्टांतो के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, कानून, न्याय एवं समानता प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान करते है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 65/2022 में पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक 17.12.202 की पालना, प्रभाव व क्रियान्विति को स्थगित फरमाने के आदेश प्रदान करावे, न्यायसंगत होगा।

प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2022 को रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत 212 के प्रार्थना पत्र प्रकरण सख्या 65/2022 में विवादित भूमि हेतु

3/11/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया। दिनांक 9.1.2023 को अपीलांट 1 से 4 के द्वारा जवाब पेश कर दिया गया है। साथ ही मूल राजस्व वाद 40/2022 में विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर वाद की पोषणीयता एवं क्षेत्राधिकार को चुनौती दी गई, मगर अप्रार्थी संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुंचाए जाने के आशय से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बार बार पेशियां दी जा रही है मगर अंतिम निर्णय नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.12.2022 की अवधि का विस्तार किया जा रहा है। जबकि जवाब प्राप्त होने के बाद 30 दिवस में उन्हें मूल प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहिए था। इस वजह से वर्तमान अपील पेश की गई है। देरी से पेश करने का उचित व विधिक आधार है, अतः देरी को क्षमा किया जाए एवं अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाए।

न्यायालय प्रोसिडिंग प्रकरण संख्या 65/2022 अंतर्गत 212 आरटी एक्ट पूसानाथ बनाम उगमा व अन्य दिनांक 17.12.2022 से दिनांक 6.10.2023 का अवलोकन किया गया। प्रथम सुनवाई दिनांक 17.12.2022 को एक पक्षीय सुनवाई के बाद विवादित भूमियों बाबत एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी कर दिया गया। दिनांक 9.1.2023 को वर्तमान अपीलांट 1 से 4 की ओर से जवाब पेश किया गया था। आर्डर 39 रूल 3ए सीपीसी के तहत जवाब प्राप्त होने के बाद बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय को उचित निर्णय पारित करना चाहिए था । मगर प्रोसिडिंग के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 6.10.2023 तक बहस नहीं सुनी गई है तथा आगे की तारीख भी दिनांक 1.12.2023 रख दी गई है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आर्डर 39 रूल 3ए सीपीसी की पालना नहीं की जा रही है। एवं अपीलांट के पास अपील प्रस्तुत करने के अलावा कोई चारा शेष नहीं होता है ऐसी स्थिति में इसी रोशनी में अपील को अंदर मियार शुमार किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2022 की आड में अप्रार्थी सख्या 1 के द्वारा अपीलांटगण को अनावश्यक रूप से हैरान परेशान किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदु अपीलांटगण के पक्ष में है अंत में निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव की कियान्विति को स्थगित किया जावे।

वकील अपीलांट के आग्रह पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि सिविल न्यायालय में एक अलग प्रकरण विवादित भूमियों बाबत चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2022 को रेस्पोडेंट सख्या 1 के पक्ष में अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया है। जबकि अपीलांट 1 से 4 की ओर से दिनांक 9.1.2023 को ही जवाब प्रस्तुत कर दिया गया मगर अभी तक निर्णय नहीं किया गया हैं अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की तलबी अभी तक नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3ए की पालना नहीं कि जा रही है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु अप्रार्थी के पक्ष में नहीं है। दिनांक 26.9.1988 से जमीन हमारे नाम है। नाथू पुत्र छोटू द्वारा नानू पुत्र शंभू एवं अन्य से भूमि कय की गई थी हम नाथू के वारिस हैं। नामांतरकरण संख्या 111 दिनांक 2.1.1989 को हमारे पिता के नाम स्वीकृत हुआ और उनकी विरासत से विवादित भूमि हमारे नाम आई अपीलांट ने उक्त भूमि पर लोन लिया है हमने बोरिंग करवाई है बगीचा लगावा रखा है फलदार वृक्ष लगवाए है। विवादित भूमि में मकान बना हुआ है बरामदा है। गिरदावरी 2079 हमारे नाम बोल रही है। हम अनुसूचित जाति से आते हैं जबकि रेस्पोडेंट ओबीसी से है। अंतरिम स्टे हटाया जाए।

बहस बिंदुओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम गनाहेडा खाता संख्या नया 434 विवादित खसरा नम्बर 800, 800/2644, 802 कुल खसरा तीन रकबा 0.5000 है0 भूमि वर्तमान अपीलांटगण के नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी (पी13) खरीफ संवत 2079 खाता संख्या 434 विवादित खसरा नम्बर में अपीलांट द्वारा नलकूप बिजली वाला लगाया हुआ है तथा फसल में फलदार वृक्ष नींबू लगाया जाना प्रदर्शित होता है। अपीलांटगण खातेदार होकर उनका प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना पाया जाता है। ना कि रेस्पोडेंट का साथ ही सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी अपीलांट के पक्ष में है ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से प्रकरण का निस्तारण नहीं किया हे। इस स्टेज पर न्यायालय यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उगमा ४/ s प्रेमानाथ (2023/ 31?)

उ... समझता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सख्या 65/2022 पूसानाथ बनाम उगमा अंतर्गत 212 आरटी एक्ट में दिए गए अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2022 को स्थगित रखा जाए। अधीनस्थ न्यायालय आगामी एक माह में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब पर बहस सुनकर 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

3.11.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर